

प्रेस नोट दिनांक-11.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मिश्र के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता एवं चैकिंग अभियान में दिनांक 10.10.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना मऊ में 08 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(2). आज दिनांक-11.10.2020 को श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्री रजनीश कुमार क्षेत्राधिकारी नगर की उपस्थिति में चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये-

- (1). मुकदमों से सम्बन्धित वाहनों की नीलामी प्रक्रिया कराने हेतु निर्देश दिये।
- (2). लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये।
- (3). चौकी परिसर, भोजनालय की साफ-सफाई हेतु निर्देश दिये गये।
- (4). कोविड-19 के दृष्टिगत चौकी में नियुक्त कर्मचारियों एवं आने वाले शिकायतकर्ताओं के तापमान नापने एवं उनका नाम पता मोबाइल नम्बर नोट करने हेतु निर्देश दिये गये।

(3). आज दिनांक-11.10.2020 को श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्री रजनीश कुमार यादव क्षेत्राधिकारी नगर की उपस्थिति में रामघाट का भ्रमण कर निरीक्षण किया एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।